मौलिक निवासियों व स्थानिक समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र

Indigenous and Community Conserved Areas (ICCAs)

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष
Environmental Action Group

पृष्टभूमि

वैसे तो आदिवासी समाज व अन्य स्थानिक समुदाय के लोगोंद्वारा अपने आसपास के वातावरण, जैवविविधता व वन्य जीवों का इस्तेमाल, नियोजन व संरक्षण उतना ही पुराना है जितना कि मानव समाज। पिछले दो सदियो में मनुष्यों व उनके आसपास के वातावरण के इस संबंध में बहुत बदलाव आया है। उनके स्थानों में संरक्षण के पारम्परिक तरीके टूट चुके हैं। परन्तु आज भी विश्वभर में लाखों की संख्या में ऐसे समुदाय है जो विभिन्न कारणों से और विभिन्न तरीकों से जैवविविधता व वन्यजीवों व उनके आवास स्थलों का संरक्षण कर रहे हैं।

आज की स्थिति मे लोगों के इन प्रयासों का निम्नलिखित कारणों से बहुत महत्व है:

१. विश्व में आज जैवविविधता व वन्यजीवों की अनेक प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर खड़ी हैं।
२. विकसित होने की होड़ में आधुनिकरण, शहरीकरण व औद्योगीकरण के कारण वनों के कटान व नदियों व समुद्रों के प्रदूषण की वजह से मनुष्य अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा हैं।
३. मनुष्य की गतिविधियों के कारण पर्यावरण व मौसम में बदलाव आ रहा है जिससे कृषि व मनुष्यों के आवास स्थलों की अभूतपूर्व नुकसान होने की संभावना है।

इन सबको रोकने के लिये प्राकृतिक संतुलन को दुबारा बनाना अनिवार्य है। प्राकृतिक संतुलन के लिये जल जंगल व जमीन का संरक्षण अनिवार्य है।

पिछली सदी में विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा संरक्षण के प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु ऐसे प्रयासों में संरक्षण का सारा बोझ वहाँ रहने वाले समुदाय झेलते हैं क्यों कि उन्हें या तो ऐसे स्थानों से निकाल दिया जाता है या उनके अधिकारों – जैसे जलाऊ लकड़ी, चराई, आदि पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। स्वाभाविक है कि इन कारणों से ये समुदाय संरक्षण के प्रयासों के विरोधी हो गये हैं। ऐसी स्थिति में ICCAs एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहाँ लोग न सिर्फ संरक्षण कर रहे हैं बल्कि अपनी आजीविका भी कमा रहे हैं। ICCAs लाखों लोगों की अपनी परम्परा,

जीवनशैली व आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। बदलते वातावरण से पैदा होने वाली समस्याओं से भी, ICCAs बखूबी निबटने की सम्भावना रखते हैं।

सदियों से दूर्लक्षित होने के बाद पिछाले कुछ दशकों में स्थानिक समुदायों और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों के कारण ICCAs को राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तरों पर कुछ हद तक मान्यता मिली है। यू.एन. डेक्लरेशन ऑन राईटस् ऑफ इंडिजिनस पीपल्स (UNDRIP) या संयुक्त राष्ट्र संघ की आदिवासी समाज के अधिकारों की उदघोषणा में संरक्षण कर रहे समुदायों (ICCAs) के जमीन व प्राकृतिक संसाधनों के उपर अधिकारों को मान्यता दी गयी है।

राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी इन्हें मान्यता व सहयोग की आवश्यकता है। परन्तु कुछ अनुभव ऐसे भी हैं जहाँ अगर सरकार सहयोग देने या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करे तो वह इस तरह से किया जाता है कि संरक्षण के प्रयास के टूटने की संभावना बन जाती है।

यह अक्कसर अनेक कारणों से होता है जैसे कि हस्तक्षेप करने से पहले उस समुदाय व उसके प्रयास को पूरी तरह से समझे बिनाही अपनी मंशा से सहयोग देने का प्रयत्न करना या संरक्षण का श्रेय खुद लेने का प्रयत्न करना।

ICCAs को सहयोग व मान्यता की आवश्यकता है इसमें कोई दो राई नहीं पर यह सहयोग व मान्यता कब, कहाँ व कैसे दिया जाए? सहयोग देने में समुदाय की क्या भूमिका हो और सहयोग देने वाले की क्या? सहयोग क्या सिर्फ पूंजी के ही रूप में हो सकता है? कानूनी सहयोग ऐसा कैसे बने की स्थानिक विविधता को ध्यान में रख सके? ये सभी मुद्दे अत्यन्त महात्वपूर्ण हैं।

निम्नलिखित रिपोर्ट इन्ही विषयों पर चर्चा करती है और इसे अनेक समुदायों, और गैर सरकारी संस्थाओं के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है।

प्र. १: आदिवासी और समुदाय - संरक्षित क्षेत्र ICCAs क्या होते है?

आदिवासी और स्थानिक समुदाय पारम्पारिक तरीकोंसे या आधुनिक विधियोंसे बहुतसी जैव विविधता और प्राकृतिक संपत्ति का संरक्षण करते हैं। ऐसे प्रयत्नों को पिछले कुछ सालों मे विश्व स्तर पर ICCAs के नाम से मान्यता दी गयी है।

ICCAs में बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं मनुष्य का प्रभाव बहुत कम होता है तो कहीं काफ़ी ज़्यादा। पारम्पारिक नीतियाँ कहीं पहले जैसी चलती रहती है, कहीं उनमें कुछ नयी नीतियाँ शामील की जाती हैं, तो कहीं नयी नीतियाँ बनाई जाती हैं। कभी कुछ कठिनाइयाँ सामने आती हैं, तो कभी नये मौके मिलते हैं। किसी भी क्षेत्र को ICCAs कहलाने के लिये निम्नलिखित तीन तथ्यों का होना आवश्यक है।

१. ICCAs में रोजमर्रा जीवनकी जरूरतों के लिये या संस्कृति के जतन के लिये एक या अधिक समुदाय साथ मिलकर किसी स्थान व उसमें पाए जानेवाले प्राकृतिक संसाधनो, जैवविविधता या वन्यजीवोंके संरक्षण का निर्णय लेते हैं।
२. ICCAs से संबंधित निर्णय लेने में और इनपर अमल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उपरोक्त समुदाय की होती है। कभी कभी समुदायों द्वारा ये प्रयास सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर किये जाते हैं। अक्कसर संरक्षित की जा रही जमीन या जल कानूनन् सरकारी होते हैं। परन्तु इन स्थितियों में इस प्रयास को ICCAs कहलाने के लिये ये आवश्यक है कि निर्णय प्रणाली में समुदाय की भूमिका मुख्य हो।
३. समुदाय के निर्णय, प्रयत्न और व्यवस्थापन से प्राणियों के नैसर्गिक निवास, पर्यावरण, और इन सबसे जुडी हुई संस्कृति - सबका संरक्षण होता है। कभी कभी व्यवस्थापन का मुख्य उद्देश्य संरक्षण नहीं होता है परन्तु व्यवस्थापन जिस तरह से किया जा रहा है उससे वन्यजीव व जैवविविधता का संरक्षण होता है। उदाहरण के लिये पानी की उपलब्धता के लिये या जलाऊ लकड़ी के लिये व्यवस्थापन करना।

जंगल संरक्षण की जड़ें इतिहास और संस्कृति में है

आदिवासी और स्थानिक समुदायों के संरक्षण प्रयासों में सम्मलित हैं, निसर्ग निर्मित जगहों को उनके नैसर्गिक रूप में रखना, साधन संपत्ति और प्राणियों के निवासों को जैसे का तैसा बनाये रखना आदि। ये प्रयास स्थानीय लोगोंने जरूरत के मुताबिक अपनी खुदकी सोच-विचारसे किये हैं। आदिवासियों और समुदायोंका ये योगदान इतना महत्वपूर्ण होकर भी, आज तक इसको पूरी तरह से समझा नहीं गया है, और देशभर के संरक्षण कार्यक्रमों में इसको सबसे कम महत्व दिया गया है।

जागतिकीकरण और विश्व मे होने वाले परिवर्तन की वजह से, कुछ ICCAs तो टिके हुअे है लेकिन कुछ खत्म हो रहे हैं और कुछ नये ICCAs निर्माण हो रहे है।

आदिवासी और स्थानिक समुदायों के व्यवस्थापन के तरीके पुराने ज्ञान और नयी जानकारी, पुराने और नये साधन और तरीके, तथा अलग-अलग संस्कृतियों का मिलाप है। कुछ ICCAs में पारम्पारिक तरीकों की जगह सरकारी व्यवस्थापन लाये जाने के वाद भी पहले की तरह काम होता रहा है। लेकिन कुछ ICCAs मे सरकारी व्यवस्थापन इतना शक्तिमान है के पारम्पारिक व्यवस्थापन टिक नहीं सका। इन स्थितियों से यह साफ दिखता है कि ICCAs में कितनी विविधता है।

जैव विविधता का समुदायोंद्वारा व्यवस्थापन

बहुतांश ICCAs में ना तो पूरी तरह उपयोग की दृष्टिसे व्यवस्थापन किया जाता है ना सिर्फ अध्यात्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से। हर तरह के उद्दिष्टों का उचित समन्वय किया जाता है। आगे दिये उदाहरण इसको अधिक स्पष्ट करते है।

१. ऐसा कहा जा सकता है के दुनियाभर के स्थानिक समुदायों के लिये ये संरक्षित क्षेत्र एक तरह की बीमा पॉलिसी हैं। सूखा पडने, प्राकृतिक विपदाओं के समय, या बीमारी होने पर ये संरक्षित क्षेत्र व इनमें पाए जानेवाले संसाधन समुदायों को संकट से उबार सकते है।
२. आदिवासी और स्थानिक समुदायों के लिये उनके संरक्षित क्षेत्र अक्कसर उनकी सांस्कृतिक पहचान, या उनकी ऐतिहासिक जड़ होते हैं। संरक्षण करने से मिलने वाले लाभ व पहचान से

उनका आत्मसम्मान व आत्मविश्वास बढ़ता है।

३. कई समुदायों के लिये संरक्षण का मतलब यह भी होता है कि अपने रोजमर्रा के जीवन और पर्यावरण पर काबू रखना, बाहर के खतरों से खुदको बचाना और कुछ हदतक राजनैतिक स्वायत्ता पाना।

आदिवासी और स्थानिक समुदायोंकी संस्थाओं और राज्य सरकार की संस्थाओं के बीच का रिश्ता काफ़ी जटिल होता है। कभी कभी ये दोनो संस्थाए एक-दूसरे की ताकद बढ़ाती हैं लेकिन ज़्यादातर गलत फ़हमियाँ और परस्पर विश्वास का अभाव ही दिखायी देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है: जब ICCAs को राज्य सरकार के सिस्टिम में या राष्ट्रीय स्तर के संरक्षण कार्यक्रमों में समाविष्ट करने का सवाल आता है, तब बहुत बार पारम्पारिक संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं के बीच संघर्ष निर्माण होता है। पारम्पारिक संस्थाओं के व्यवस्थापन को राज्य सरकारके व्यवस्थापन के ढाँचे में डालने के प्रयत्न से कभी कभी इतना नुकसान होता है कि बहुत अर्से से चला आ रहा संरक्षण का प्रयास खत्म हो जाता है।

पर आखिर ऐसी समस्याएँ क्यों आती हैं और उनका सामना किस प्रकार से किया जा सकता है? ये समस्याएँ तब सामने आती हैं जब ICCAs को पूरी तरह समझे बिना ही सरकार वहाँ हस्तक्षेप करती है। साथ ही वहाँ पहले से उपस्थित नियम, कानूनों व व्यवस्थापन व्यवस्था को न मानकर वहाँ नयी सरकारी व्यवस्था स्थापित की जाती है। नयी व्यवस्थापन प्रणाली अधिकतर उतनी कारगर नहीं हो पाती है जितनी पुरानी थी। ये खासतौर पर उस स्थिति में होता है जब संरक्षण करनेवाले समुदाय को नये नियम व कानून बनाने में अहम् भूमिका नहीं दी जाती है।

प्र. २: ICCAs को मान्यता और सपोर्ट क्यों देना चाहिये?

१. आज जब पृथ्वीपर बडे पैमाने पर जैवविविधता का नुकसान हो रहा है, तब ICCAs बहुत बडे क्षेत्र में जैवविविधता का संरक्षण कर रहे हैं। इन प्रयत्नों के बारे में प्रलेख़न बहुतही अपूर्ण है लेकिन अंदाज यह है कि जितना संरक्षण सरकारी

कार्यक्रमों द्वारा किया जा रहा है। (पृथ्वी की पूरी जमीन का १२%) उतना ही संरक्षण ICCAs के द्वारा भी हो रहा है।

२. ICCAs विभिन्न वन्यजीवों के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच एक कोरीडोर बनाते हैं या बना सकते हैं। इन कोरिडोरों से वन्यजीवों व जैवविविधता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने व अपनी प्रजाति के दूसरे प्राणियों से संपर्क रखने में सहायता मिलती है।

३. ICCAs पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने में सहायता करते हैं क्योंकि ये जल, जंगल व मिट्टी का संरक्षण करते हैं।

४. ICCAs की वजह से लाखों लोगों को जीने का सहारा मिलता है। अनाज, पानी, जानवरों के लिये चारा, रोजी-रोटी कमाने के साधन, संकट के वक्त रहने के लिये जगह और जीवन के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

५. ICCAs की वजह से लाखों आदिवासी और स्थानिक समुदायों के लोगों की सांस्कृतिक पहचान बनती है। समुदाय की एकता व संगठन को बनाये रखने में ये सहायक होते हैं।

६. ICCAs की रचना व व्यवस्थापन के पीछे गहरा पारम्परिक ज्ञान होता है जिसके कारण ये रचनाऐं लंबे अर्से तक टिक सकने की क्षमता रखती हैं। साथ ही इस उत्कृष्ट ज्ञान को भी बचाए रखती हैं।

७. ICCAs में एक लचकता पाई जाती है जिसके कारण वे आसपास व विश्व भर में हो रहे सामाजिक, पर्यावरणीय व आर्थिक बदलाव से निबटने की क्षमता रखते है।

८. अगर हमारे समाज को सतत् विकास की आवश्यकता है तो ऐसा विकास कैसे हो सकता है इसकी तरफ़ भी ICCAs इशारा करते हैं।

प्र. ३: ICCAs के सामने कौन सी चुनौतियाँ है?

अनेक देशों में ICCAs को कानूनी मान्यता नहीं है, और कभी कभी तो आसपास के समुदाय भी उनका महत्व नहीं जानते हैं। यह मान्यता या जानकारी न होने के कारण वाहर के लोगोंको यह गलत फ़हमी होती है कि यहाँ कोई व्यवस्थापन नहीं है और यहाँ के प्राकृतिक ससाधनों का कोई भी उपयोग कर सकता है। कानूनी मान्यता न होने के कारण संरक्षण के प्रयत्न को अनदेखा कर के ऐसे स्थानों को अक्कसर खनन व उद्योग की अन्य गतिविधियों के लिये दे दिया जाता है।

बाहर के धोखे

ICCAs के सामने आज के समय में आने वाले अनेक अंदरूनी व बाहरी खतरों व चुनौतियों के उदाहरण नीचे दिये गये हैं।

१. व्यापारीकरण और तथाकथित विकास के लिये जमीन के नीचे मौजूद इंधन व अन्य खनिज पदार्थ निकालना (जब राज्य सरकार किसी जमीन के ऊपर हक आदिवासियों और स्थानिक समुदायों को देती है, तब भी वह जमीन के नीचे के साधनोंपर अपना हक बनाए रखती है।) इसके अलावा पेडों की कटान, औद्योगिक स्तर पे मछली पकडना, पानी के स्त्रोतों की दिशा बदलना, आधुनिकीकरण के लिये रास्ते, बंदर और हवाई अड्डे बनाना, सैलानियों के लिये आकर्षक स्थान बनाना - ये सब ICCAs के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं।
२. युद्ध, दंगे - फ़साद और निर्वासित लोगों के बीच के संघर्ष।
३. राष्ट्रीयीकरण, निजीकरण, संरक्षण या फिर सुरक्षा के नाम से समुदायों को अपने निवास स्थलों से विस्थापित किया जाना।
४. ICCAs को गलत तरीके से मान्यता देना जिसकी वजह से पारम्पारिक व्यवस्थापन का टूट जाना।
५. शिक्षा प्रणाली में स्थानिक पारस्थितिकी व संस्कृति को सम्मलित न किया जाना जिसके कारण युवाओं का अपनी जगह और संस्कृति से दूर हो जाना।

६. राजनैतिक हस्तक्षेप, जिससे समाज के विभिन्न घटकों में संघर्ष पैदा होता है।
७. गैरकानूनी तरीके से ICCAs के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वाहर वालों द्वारा किया जाना।
८. विकास की अनेक गतिविधियों से विश्वभर के मौसम में आने वाले बदलाव का प्रभाव ICCAs पर पड़ना।

अंदरूनी खतरे

१. आधुनिकरण के प्रभाव की वजहसे, युवा पिढ़ी की संस्कृती व अपने बुजुर्गो से मानसिक तरीके से दूर हो जाना।
२. बाज़ार पर अत्यधिक निर्भता व बाज़ारीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर दबाव पड़ना। इस दबाव के कारण पारम्परिक पद्धतियों का टूट जाना।

दुनिया भर में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिससे पता चले कि कितने ICCAs को चुनौतियों का सामना करना पड रहा है। हालांकि कई जगहों के ICCAs के लोगों से चर्चा करने के वाद यह जाहिर होता है कि चुनौतियाँ गंभीर हैं और बढ़ती जा रही हैं।

प्र. ४: ICCAs को मान्यता देना : समुदाय क्या चाहते है?

सब देशों की सरकारों और समाज ने ये समझना चाहिये कि ICCAs को पूरी तरह से मान्यता देने से और सपोर्ट करने से, सिर्फ आदिवासियों और स्थानिक समुदाय के लोगों को ही नहीं वल्कि पूरे विश्व के प्राकृतिक संतुलन व मानव समाज को लाभ होगा। पर यह मान्यता किस प्रकार दी जाए? समुदायों की सोच इसके बारे में क्या है इस बारे में नीचे चर्चा की गयी है।

वैसे देखा जाय तो सब ICCAs एक जैसे बिलकुल नहीं होते हैं। उनका इतिहास, व्यवस्थापन के तरीके, भविष्य की परिकल्पना आदि में वहुत फ़र्क होता है। फिर भी, इन समुदायों के सदस्यों से चर्चा

करते हुऐ जब उनके मत व्यक्त होते हैं, तो यह ध्यान में आता है कि इन सब ICCAs मे एक समान सूत्र भी है।

जमीन, पानी और दूसरे नैसर्गिक संसाधनों के हक को औपचारिक मान्यता देना

बहुतांश आदिवासियों और स्थानिक समुदायों का मानना है कि ICCAs के संरक्षण के लिये नैसर्गिक संसाधनों के हक को औपचारिक मान्यता मिलना अत्यावश्यक है। औपचारिक मान्यता का प्रारूप अलग अलग स्थितियों में अलग-अलग हो सकता है। उदाहरण के लिये:

१. जमीन वगैरह की मालकी का औपचारिक दस्तावेज़ बनाना - इसके लिये उचित कानूनों की सहायता लेना।
२. घुमन्तु समुदायों को ऋतू के मुताबिक एक स्थान से दूसरे स्थानपर जाकर बसने, स्थानिक नियमों/कायदों के अनुसार प्राकृतिक ससाधनों के उपयोग के हक तय करने, बाहर से आनेवालों को बसने की अनुमति दें या नहीं, यह तय करने, आदि का अधिकार देना।

कुछ देशों में आदिवासी या और स्थानिक समुदायों को औपचारिक हक देने का फैसला लिया जा चुका है जैसे ऑस्ट्रेलिया, बोलिव्हिया, कोलंबिया, फिलिपीन्स और फिलहालमें भारत। इस फैसले का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन कैसे किया जाना चाहिए यह देना अभी बाकी है। जिन देशों में इस तरह का औपचारिक हक कानूनी तरह से देने का फैसला अभी तक नहीं हुआ है वहाँ पर फैसला होने तक कुछ अन्य प्रावधानों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिये-केनिया के सागरी किनारे पर सरकार से माँग की गयी है कि पारम्पारिक रूप से 'काया' समुदाय को जंगलों की हिफाजत करने के लिये सरकार उनकी मदद करे। ये 'काया' जंगल जैवविविधता के संरक्षण के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। केनिया सरकार के पास ICCAs को मान्यता देने की तरतूद नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत की हिफ़ाज़त करने की जिम्मेदारी मानकर वे स्थानिक व्यवस्थापन को मान्यता दे सकते हैं। महत्व की बात यह है के समुदाय और उनके आरक्षित क्षेत्र के संबंध को तोड़े बिना ये मान्यता कैसे दी जा सकती है।

क्या उपभोगतावादी व बाजारीकरण से ग्रस्त समाज में ICCAs के सहअस्तित्व में सहायता करना संभव है?

हाँ, संभव है अगर बाज़ार से जुड़ी प्रक्रियाँओं को उचित व न्यायपूर्ण तरीके से ICCAs के साथ जोड़ा जाए तो। उचित परमिटस् और सर्टिफिकेटस् की मदद से इन प्रक्रियों में अन्यायपूर्ण कदम उठाने से रोका जा सकता है।

साउथ अमरीका के पेरू नामक देश में 'शिपिवो कोनिवो' नामक समुदाय है। पेरू सरकार ने इस समुदाय के क्षेत्र के ३५,000 हेक्टर क्षेत्र पर समुदाय के हक को औपचारिक मान्यता दी। समुदाय ने उनके 'कम्युनल रिझर्व्ह' या सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र के व्यवस्थापन के लिये अपने नियम और कायदे खुद बनाये। सन २००५ मे इस आरक्षित क्षेत्र को 'फॉरेस्ट स्टुअर्डशिप कौन्सिल' (जो अंतराष्ट्रीय स्तर पर यह तय करता है कि बाजार में आनेवाली लकड़ी को विना पर्यावरण व स्थानिक समाज को नुकसान पहुँचाए निकाला गया है कि नहीं) से उपयोगिता और आरक्षित क्षेत्र का सर्टिफिकेट मिला और आज उनकी लकड़ी अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंच रही है और समुदाय को संरक्षण के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिल रहा है।

अव पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का अनुभव सुनिये। वहाँ पर एक संरक्षित क्षेत्र ऐसा था जहाँ सैलानियों के जाने पर कोई वंधन नहीं था। सैलानियों के मनमाने वर्ताव के कारणे पर्यावरणपर कुछ गंभीर परिणाम होने लगे। इससे निवटने के लिये सैलानियों के लिये यहाँ आने के लिये परवानगी लेना अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी टूरिस्ट अव पहले वहाँ के स्थानिक समुदाय द्वारा स्थापित संस्था (इन्डिजिनस पीपल्स एरिया) के ऑफिस जाता है जहाँ आदिवासी कर्मचारी उन्हे सलाह देते है कि किस तरह वह पर्या वरण को कम से कम नुकसान पहूँचाते हुअे इस जगह का आनंद ले सकते हैं।

लेकिन औद्योगीकरण से ICCAs में कुछ परिवर्तन ऐसे भी आ रहे हैं जो कि चिंता के विषय हैं। एक तो समुदायों की जनसंख्या वढ़ रही है और जो पारम्पारिक नेता है उनको अपना अधिकार वनाये रखना मुश्किल हो रहा

है। दूसरा, समुदाय के लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। जैसे टेलिफोन, गाडियाँ, कम्प्युटर्स अभी तक तो इस तरह की जरूरतें पूरी करके भी ICCAs का व्यवस्थापन ठीक हो रहा है लेकिन अगर उपभोगता की ये जरूरतें वढती गयीं, तो उसका असर क्या होगा यह चिंता का विषय है।

ICCAs का व्यवस्थापन करनेवाली संस्थाओं को मान्यता देना और उनका आदर करना

नैसर्गिक संसाधनों का व्यवस्थापन और जैवविविधता का संरक्षण करने के लिये स्थानिक संस्कृति और परंपरा से जुडे हुअे लोगों की संस्था से वेहतर कोई संस्था नहीं हो सकती है। उनका पारम्परिक ज्ञान, कला, संस्था का स्वरूप, नियम, सिधान्त और दृष्टिकोन ये सभी स्थानिक संदर्भ में होते हैं।

सरकार ऐसी संस्थाओं को ३ तरह से मान्यता दे सकती है :

१. इन संस्थाओंकी रचना और कार्यान्वयन कैसे हो इसकी समुदाय को पूरी छूट दे सकती है।
२. इन संस्थाओं की रचना और कार्या न्वयन को अधिक सदृड़ बनाने के लिये मदद कर सकती है जैसे की महिलओं का और समुदाय के दूसरे कमजोर विभागों का निर्णय प्रक्रिया में सहभाग वढ़ाना।
३. या फिर संस्थाओं के नैसर्गिक विकास व संवर्धन के लिये सरकार समुदाय के साथ मिलकर एक यह व्यवस्थापन व मिलकर निर्णय लेने की प्रक्रिया स्थापित कर सकती है। यह, स्वभाविक है कि ऐसा करने से संस्था का स्वरूप पूर्ण रूप से स्वतंत्र न हो कर एक सहव्यवस्थापन समिति जैसा हो जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर जिस तरह से ICCAs में रूचि ली जा रही है, उसकी वजह से कुछ देशों में ICCAs में हो रहे समुदाय के व्यवस्थापन को एक स्टँडर्ड ढाँचे में डालने की कोशिश हो रही है। उदाहरण के लिये भारत मे 'वाईल्ड लाइफ विधिनियम' के अंतर्गत 'कम्युनिटि रिज़र्व' के प्रावधान को २००२ में अपनाया गया परन्तु इस

प्रावधान को अभी तक किसी भी ICCA ने नहीं अपनाया है। अन्य कारणों के अलावा इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इस प्रावधान में समुदाय को रिज़र्व के नियोजन के लिये स्थानिक संस्था के निर्माण की स्वतंत्रता नहीं है। नेपाल में कुम्भू के शेर्पा नेताओं ने एक सूचना की है। वह सूचना यह है कि ICCAs को मान्यता देते हुअे यह स्पष्ट किया जाए कि समुदाय की अपनी संस्था से किये जा रहे व्यवस्थापन को मान्यता दी जाएगी। इससे, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल निवासियों के अधिकारों की उद् घोषणा या 'डिक्लरेशन ऑफ राइटस् ऑफ इंडिजिनस पीपल' और ILO (इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन) के नियम संख्या १५६ का पालन हो सकेगा।

ICCAs के सामने बाहर से आने वाली चुनौतियों से निबटने में सहायता देना

समुदायों के साथ चर्चा में बहुतांश समुदाय के लोग बाहर से आनेवाली चुनौतियों से आनेवाले खतरों का जिक्र करते हैं। ये चुनौतियाँ राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय भी हो सकती हैं या पड़ोस के गावों और समाज से या बाहर से आकर बसे समाजों से भी हो सकती हैं। इसलिये ICCAs को कई तरह की मदद की जरूरत पड़ती है :

१. कई ICCAs को 'विकास' के प्रकल्प; जैसे, बडे बंधारे (बाँध, डॅम), खान, रास्ते, कारखाने और शहरीकरण आदि से पर्यावरणीय और सांस्कृतिक नुकसान होने का खतरा रहता है। बहुतांश समुदायों में इतनी ताकद नही होती है कि वे इन गतिविधियों को रोक पाएँ। उनको समाज के दूसरे विभागोंसे और सरकार से मदद की ज़रूरत पड़ती है।

२. स्थानिक संघटना से जुडी अनेक चुनौतियों का सामना करने मे स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद बहुत उपयोगी सावित हो सकती है। जैसे कि चुनौतियों का सामना करनेवाली दूसरी संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना व अनुभवों का आदान प्रदान करना। आवश्यकता पडने पर कानूनी कदम उठाना, राजनैतिक सपोर्ट दिलाने में मदद करना, मोर्चे निकालना, बहिष्कार करना, वगैरह।

उदाहरण के लिये ऊड़ीसा में कुछ समुदायों ने खनन व इस्पात के कारखानों को रोकने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं से सहायता माँगी। बोलिव्हिया में 'इसोवोरो सिक्युअर नॅशनल पार्क' और 'पिलॉन लाजाज्' नामक दो क्षेत्र आदिवासियों के पारम्परिक निवास स्थान हैं और जैवविविधता के संरक्षण के लिये भी आरक्षित हैं। यहाँ के निवासी हायड्रो कार्बन एक्स्प्लोअरेशन, नये रास्तों के बनाने और बाहर से आकर बसने वाले लोगों से खतरा महसूस करते हैं। इस प्रकल्प को रोकने के लिये इन लोगों ने राजनैतिक सपोर्ट माँगा है।

युवापिढ़ी के तुडाव से पैदा होनेवाली चुनौतियाँ का सामना करना

आधुनिक शिक्षा, धर्मांतर करनेवाली शक्तियाँ, राजनैतिक प्रचार और २४ घंटे चलनेवाला व्यावसायिक प्रसार माध्यमोंका कल्पनाजाल युवाओं को अपने समाज व संस्कृति से दूर करता जा रहा है। जिस उमर में इन युवकों को अपनी स्थानिक संस्थाओं को अच्छी तरह समझना चाहिये, अपनी पहचान बनाकर उसमें गर्व महसूस करना चाहिये, उसी उमर में उनको अपनी जमीन, संस्कृति और स्थानिक संस्थाओं से दूराव महसूस होने लगा है। इसी वजह से वे अपने ICCAs से भी जुड़े नहीं रह पाते हैं। जिन संस्थाओं या व्यक्तिओं को इस बात की चिंता है, वे इस विषय में चर्चा करके इससे निवटने का प्रयत्न कर रहे है। इसके लिये इन युवकों को ICCAs से जोड़ने के लिये निम्नलिखित विचार उपर कर आए हैं :

१. युवकों के साथ मिलकर स्थानिक वातावरण, पर्यावरण और समाज के वारे में विश्लेषण, अभ्यासवर्ग, और संशोधन करना।
२. जैवविविधता और सांस्कृतिक विविधता की सूचि बनाने और उनके विश्लेषण करने का काम युवकों को देना। अगर यह कार्य आमदनी का स्त्रोत भी बन सके तो युवकों कि रूचि अधिक बड़ेगी।
३. युवकों को साथ लेकर ICCAs का मौखिक और लिखित इतिहास तैयार करना, उसपर गाने, नाटक, फिल्मे बनाना।

४. स्थानिक शिक्षा संस्थाओं के प्रारूप में स्थानिक पर्यावरण व संस्कृति से संवंधित जानकारी को भी समाविष्ट करना।

५. स्थानिक संस्कृति से जुडे हुऐ त्यौहार और दूसरे कार्यक्रम आयोजित करना।

६. ICCAs की जीवनशैली गर्व के काविल क्यों है और अंतराष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या महत्व है यह स्पष्ट करना।

७. अलग अलग ICCAs के युवकों द्वारा एक दूसरे के स्थानों पर जाकर एक दूसरे से अनुभवों को वांटना।

आजीविका के स्त्रोत उपलब्ध कराने में सहयोग

ICCAs जिन स्थानों पर होते हैं वहाँ अक्कसर नौकरियाँ या अन्य जीने के साधन वहुत कम होते हैं। इस वजह से जो युवक जैवविविधता के संरक्षण में जुटे हैं उन्हे आजीविका के स्त्रोत ढूंडने का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिये ऐसे आजीविका के स्त्रोतों का निर्माण करने की अत्यधिक आवश्यकता हैं जिससे ICCAs का अस्तित्व भी बना रहे। उदाहरण के लिये, नैसर्गिक उत्पादनों की विक्री, पर्यावरण के रक्षण के साथ सैलानियों को आकर्षित करके गाइड करना, पानी के स्त्रोतों का व्यवस्थापन करनेवालों को मुहावजा देना, वगैरह।

आमदनी के ये स्त्रोत ICCAs की देखभाल से भी जुडे हो सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे काम होंगे जिनका अनुभव स्थानिक समुदाय को नहीं होगा और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है:

१. ICCAs से जुड़े हुऐ काम के लिये ट्रेनिंग जैसे टुरिझम व्यवस्थापन।

२. जंगल में आग वुझाना, अच्छी फसल आने के लिये सर्वेक्षण करना, वातावरण मे परिवर्तन आने के वाद व्यवस्थापन मे वदलाव की मालूमात के लिये संशोधन करना।

३. शिक्षा और आरोग्य जैसी जरूरतें ICCAs के अन्दर ही पूरी करने की व्यवस्था करना ताकि इनके लिये वाहर जाना ना पडे। स्थानिक युवको को वनस्पती उपचार, स्वास्थ आदि से जुडी ट्रेनिंग देना, स्थानिक स्तर पर शिक्षक तैयार करना, आदि।

संरक्षण के काम में आनेवाली चुनौतियों का सामना करने में सहयोग

ICCAs में पर्यावरण का संतुलन बनाये रखना आसान नहीं है। इसके कई कारण है। एक कारण यह है कि भविष्य में क्या परिवर्तन होगा इसका अंदाज़ा समुदाय पहले से नहीं लगा पाते हैं। इन चुनौतियों से निवटने के लिये मदद कई प्रकार से दी जा सकती है जैसे कि : नेपाल के चेपांग गाँवों में कुछ पेड़ क्यों क्षतिग्रस्त हो रहे हैं यह जानकारी न होने के कारण लोग परेशान हो रहे थे। यह जानकारी मिलने पर वे व्यवस्थापन की प्रक्रिया में उचित बदलाव ला सके। सांस्कृतिक मदद जैसे स्कूलों में स्थानिक भाषा में शिक्षा देने के लिये किताबें बनाना, पर्यावरण से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियों को पुर्नजीवित करना।

संघटन और परस्परसंपर्क के लिये सहयोग

ICCAs से संबंधित लोग एक दूसरे से संपर्क में रहने का महत्व समझते हैं। ऐसा आपसी संपर्क स्थानिक स्तर पे जरूरी है जैसे कि पड़ोस के समुदाय - या म्युनिसिपालिटी से संपर्क में रहना। राष्ट्रीय स्तरपर भी विभिन्न ICCAs का एक दूसरे से संबंध जोड़े रखना। संपर्क सामाजिक या पर्यावरण पर काम करनेवाले स्वयंसेवी संस्थाओं से भी रखना आवश्यक है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाए रखने से ICCAs को विश्वस्तर पर होनेवाले बदलाव, चर्चा व चुनौतियों के बारे में जानकारी मिल सकती है।

नियम और कानूनों से जुड़ा सहयोग

ICCAs का भविष्य आदिवासियों और स्थानिक समुदायों के लोगोंके व्यवस्थापन और कार्यान्वयन पर तो निर्भर है ही लेकिन स्थानिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव पर भी निर्भर होता है। उपरोक्त अनेक चुनौतियों से निवटने के लिये योग्य राष्ट्रीय नीतियों व कानूनों की सहायता जितनी आज आवश्यक है उतनी शायद पहले कभी नही थी।

अंतराष्ट्रीय सहयोग

१. पर्यावरण की चर्चाओं में आदिवासियों और स्थानिक समुदायों के हक की चर्चा होना प्रारम्भ हो चुका है परन्तु ये चर्चा अर्थव्यवस्था व राजनैतिक विषयों में भी आनी अति आवश्यक हैं।

२. विश्व स्तर पर जिस प्रकार से सरकार द्वारा घोषित संरक्षित क्षेत्रों का एक दस्तावेज तैयार किया गया है उसी प्रकार का दस्तावेज ICCAs के बारे में भी होना आवश्यक है। हालांकि दस्तावेज में नाम जाने से पहले संबंधित समुदाय की सहमति लेना आवश्यक है।

३. अंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व राजनैतिक कारणों से ICCAs को होने वाले खतरों से स्वयंसेवी संस्थाओं को जागरूक रह कर समय पर समुदायों को आगाह करना आवश्यक है।

४. जो देश ICCAs को मान्यता देने और सपोर्ट करने के लिये तैयार हैं उनको CBD (जैवविविधता के संरक्षण के लिये अंतराष्ट्री समझौता) जैसे अंतराष्ट्रीय संस्थाओं से मार्गदर्शन मिलना चाहिये।

राष्ट्रीय सहयोग

१. सरकारने आदिवासियों का और स्थानिक समुदायों के लोगों का उनकी पारम्परिक भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर हक औपचारिक तरीकोंसे मानना और उनको इन संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिये कानूनी सहयोग देना।

२. राष्ट्रीय स्तर पर ICCAs की सूचि बनाना जिसमें संरक्षण की प्रक्रिया, व्यवस्थापन के तरीके, स्थानिक स्तर पर आजिविक के साधन आदि के विषय में जानकारी हो।

३. अगर समुदायों की इच्छा हो तो उनका पारम्पारिक और नवीन ज्ञान व कार्य पद्धति का रेकॉर्ड बनाकर, समुदाय की अनुमति से दूसरे समुदायों को और संरक्षण विषय में रूचि लेने वालों के साथ सीखने के लिये बाँटना।

४. ऐसी नीतियाँ बनाना के जिनके अमल करने से ICCAs का दर्जा उस स्तर पर हो सके जिस स्तर पर सरकारी संरक्षित क्षेत्रों का होता है ICCAs को तकनीकी, आर्थिक और उनकी जरूरतों के अनुसार मदद मिलना।

५. बहुत से समुदायों के अन्दर जाति, लिंग और उम्र की वजहसे पारम्परिक असमानता होती है, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएँ सामाजिक समानता लाने में सहायक हो सकती हैं।

ऐसा करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते है:

१. मानव अधिकार और सामाजिक समानता की जागृति करने के लिये कार्यक्रम लेना।

२. निर्णय लेने वाली संस्था का ढाँचा ऐसा बनाने में मदद करना जिसमें समाज के कमज़ोर घटकों को अपनी बात कहने का मौका मिल सके।

३. जो घटक संरक्षण की गतिविधियों से प्रभावित हुए हैं उन्हें उचित मुवावज़ा मिलना।

ये सब कदम उठाने से आदिवासियों और स्थानिक समुदाय के लोगोंको जैव विविधता के संरक्षण का कार्य जारी रखने में मदद मिलेगी। ICCAs के समुदायों का कार्य पूरे विश्व के लिये, और पृथ्वी के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

विवरण लेख

लोकसमूहद्वारा संरक्षित क्षेत्रों से निगडित, कानून, नीती तथा योजनाएँ।

BOOK POST/Printed Matter

प्रकाशित :
कल्पवृक्ष
अपार्टमेन्ट ५ श्री दत्तकृपा, ९0८ डेक्कन जिमखाना, पुणे-४११00४
फोन: ९१-२0-२५६७५४५0, फोन/फ़ैक्स: ९१-२0-२५६५४२३९
ईमेल: kvoutreach@gmail.com
वेवसाइट: www.kalpavriksh.org

चित्रांकन: राम चन्द्रन, मधुवंती अनंतराजन
आर्थिक सहयोग: मिज़रिओर, जर्मनी

निजि वितरण के लिए प्रकाशित विषयवस्तु,

सेवा मे,